RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg No. MCS /170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष २, अंक २९(२)] गुरुवार, नोव्हेंबर १७, २०१६/कार्तिक २६, शके १९३८ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ४१

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

नगरविकास विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित २७ अक्तूबर, सन् २०१६।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XXVI OF 2016.

AN ORDINANCE

Further to amend the Mumbai Municipal Corporation Act.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २६ सन् २०१६।

मुंबई नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

सन् १८८८ का ३।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, मुंबई नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब, इसलिये, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अध्यादेश मुंबई नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१६ कहलाए।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

सन् १८८८ का ३ की धारा ९१ख में संशोधन ।

२. मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा ९१ ख की,– सन् १८८८ का ३।

(क) उप-धारा (३) में, " पट्टा किराये की आधी के समान रकम " शब्दों के स्थान में, " पट्टा किराये के सत्तर प्रतिशत के समान रकम " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (४) में,—

(एक) " प्रत्येक दस वर्षों के पश्चात्, " शब्दों के स्थान में, " दस वर्षों की अवधि के भीतर किसी भी समय पर " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) परंतुक में, " राजस्व तथा वन विभाग " शब्दों के स्थान में, " नगर विकास विभाग या, जहाँ ऐसी भूमि के संबंध में नगर विकास विभाग की नीति विद्यमान नहीं है, ऐसे राजस्व तथा वन विभाग " शब्द रखे जायेंगे ।

वक्तव्य ।

मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३) की धारा ९१ख उक्त अधिनियम की संलग्न अनुसूची **डब्ल्यू** में विनिर्दिष्ट संपत्ति मुंबई नगर निगम द्वारा मंजूर पट्टे के समापन पर सरकार में निहित करने के लिये उपबंध करती है । उक्त धारा ९१ख की उप-धारा (२) मुंबई नगर निगम को ऐसी भूमि को फिर से पट्टे पर देने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करती है । उक्त धारा ९१ख की उप-धारा (३) यह उपबंध करती है कि, निगम में ऐसी भूमि के पुनर्निहित होने पर जैसे उसकी उप-धारा २ में यथा उपबंधित है, निगम उसके द्वारा प्राप्त हो सके ऐसे किराए पट्टा की आधी समान रकम की राज्य सरकार को अदायगी करेगा । निगम द्वारा प्राप्त ऐसी भूमि के संबंध में पट्टा किराए के ७० प्रतिशत निगम द्वारा राज्य सरकार को अदा करने की आवश्यकता है और उक्त उप-धारा (३) में यथोचित संशोधन करना इष्टकर है ।

उक्त धारा ९१ख की उप-धारा (४) यह उपबंध करती है कि, निगम, प्रत्येक दस वर्ष के पश्चात्, पट्टे किराए के दरों को पुनरीक्षित कर सकेगी और ऐसे दरों को पुनरीक्षित करते समय निगम, सरकारी भूमि के पट्टे देने के लिए, राज्य सरकार के राजस्व तथा वन विभाग की नीति द्वारा आबद्ध होगी । निगम को समर्थ करने के उद्देश्य से, दस वर्षों की अवधि के भीतर किसी समय पर पट्टा किराये के दरों को पुनरीक्षित करने और ऐसे दरों का पुनरीक्षण करते समय निगम नगर विकास विभाग की नीति द्वारा भी आबद्ध होगी और किसी मामले में नगर विकास विभाग की नीति विद्यमान नहीं है, तब, राजस्व तथा वन विभाग को होने के लिए, इसे उक्त उप-धारा (४) में यथोचित संशोधन करना इष्टकर है ।

२. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३) में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित हुआ है।

मुंबई,
दिनांकित २५ अक्तूबर २०१६।

चे विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

मनीषा पाटणकर-म्हैसकर,
सरकार के सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.